अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 91/2012** जोगी मंडल एवं अन्य — अपीलार्थीगण वनाम राज्य एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स **–::आदेश::–** प्रस्तुत अपील वाद जोगी मंडल द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली, सुपौल द्वारा पारित आदेश दिनांकः 06.02.2012ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 42/2011–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील वाद में मौजाः हरियाही खाताः 84 एवं 55 खेसरा 2618,2621,2641,2642,3152,3237,2471 एवं 2781 एवं अन्य खेसरा का कुल रकबा 6–18–11–10 (छः बीघा अठारह कट्ठा ग्यारह धूर दस धूरकी) तथा खाता 75 खेसरा 2828 का रकबा 0.9.16 (नौ कट्ठा सोलह धूर) भूमि विवादित भूमि है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि उक्त विवादित जमीन उभय पक्ष के पूर्वजों की अर्जित सम्पत्ति है। उनके दखल कब्जा के आधार पर सम्मिलित जमाबंदी संख्या 55 भूतपूर्व जमीन्दार महाराज दरभंगा के समय से तथा कालान्तर में बिहार सरकार को राजस्व का भुगतान किया जाता रहा है वो वर्षः 1905 से पूर्व ही दोनों पक्षों का स्वत्रंत हैसियत कायम हुआ तथा व्यक्तिगत हैसियत से जमीन की खरीदगी हुई। जिसकी जमाबंदी संख्याः 17 एवं 104 कायम हुआ तथा पुनरीक्षित सर्वे अपीलार्थी/वादी पूर्वज के नाम से खाता खुला। उक्त जमाबंदी का संबंध साबिक खाता 75 एवं 84 की भूमि से रहा जिससे रेस्पोण्डेन्ट का कोई संबंध नहीं होना बतलाते है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट द्वारा खाताः 55, 84 एवं 75 की भूमि का आपसी बँटवारा दिखाकर	

अपीलार्थीगण/वादीगण की जमाबंदी संख्याः 17 एवं 104 की भूमि का दाखिल खारिज करा लिया गया तथा खाताः 55 खेसराः 2932 का रकवाः 0.8.16 धूर भूमि पूर्णतः अपीलार्थीगण के दखल कब्जा एवं स्वामित्व में रही है उसे भी रेस्पोण्डेन्ट्स अपने Schedule में रखकर दाखिल खारिज करा लिया। खाता संख्याः 75, खेसराः 2828 का का कुल रकवाः 0.4.18 धूर तथा जमाबंदी संख्याः 17 का कुल रकवाः 1.7.7 (एक बीघा सात कट्ठा सात धूर) भूमि है। उक्त खाता खेसरा में से बिना किसी हक वो अधिकार एवं दखल कब्जा के कुल रकवाः 0.19.5 (उन्नीस कट्ठा पॉच धूर) भूमि को निकाला जाना पूर्णतः अवैधानिक बतलाते है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि प्रस्तुत वाद मौजाः हरियाही, अंतर्गत खाता संख्याः 84 एवं 85, खेसरा संख्याः 2618, 2621, 2641, 2642, 3152, 3237, 2441, 2781 एवं अन्य खेसरा का कुल रकवाः 06 बीघा 18 कट्ठा 11 धूर 10 धूरकी भूमि तथा खाता संख्याः 75 एवं खेसरा संख्याः 2828, कुल रकवाः 9 कट्ठा 16 धूर भूमि से संबंधित है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा उक्त वर्णित भूमि के संबंध में विपक्षी संख्याः 2 एवं 3 के नाम से कायम जमाबंदी खारिज करने हेतु दायर किया गया ।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि उपरोक्त जमाबंदी से संबंधित आदेश अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्याः 125/92–93 में दोनों पक्षों द्वारा दाखिल पंचनामा के तथ्यों के आधार पर दिनांकः 21.12.1992 को पारित किया गया।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादी प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार के पूर्वजों द्वारा खरिदगी से अर्जित है। पूराने खतियान का खाता संख्याः 55 के धारक उभय पक्ष दुल्हा मंडल, पुरन मंडल एवं ढोढाय मंडल सभी पिता स्व0 बुचनी मंडल थे और उन्हीं लोगों के नाम से भूतपूर्व जमीन्दार के समय से जमाबंदी संख्या 52 संचालित थी वो पुरन मंडल नावल्द मर गये। अतएव उनके हिस्से की भूमि दुःखा मंडल एवं ढोढाय मंडल के बीच बंट गई।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि संयुक्त परिवार में ही दुल्हा मंडल ने अपने पुत्र बुनी मंडल वो पौत्र सोने लाल मंडल वो भोही मंडल वो नन्द लाल मडल के नाम से निबंधित दस्तावेज की तहरीरगी हुई जिसकी जमाबंदी संख्याः 17 बनाम बुनी मेडल वो जमाबन्दी संख्या :104 बनाम बुनी मंडल हाल सोने लाल मंडल वो जमाबंदी संख्या 347 बनाम नंदलाल मंडल एवं जमाबंदी संख्या 194, 252 एवं 431 बनाम सोने लाल मंडल के नाम से कायम की गई तथा राजस्व रसीद निर्गत किया जाने लगा वो वर्ष 1949 में उभय पक्ष के पूर्वजों द्वारा 10.4.11 जमीन खरीद की गयी बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि वर्षः 1992–93 में विभिन्न पंचों के समक्ष घरेलू पारिवारिक बँटवारा किया गया जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, निर्मली के समक्ष जमाबंदी कायम करने हेतु आवेदन दिया गया तथा हल्का एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोंपरांत रत्तीलाल मंडल के नाम से 3 बीघा 11 कट्ठा 4 धूर 5 धूरकी भूमि के निश्वत जमाबंदी संख्याः 1439 कायम हुआ तथा रामरूप मंडल के नाम से 3 बीघा 11 कट्ठा 4 धूर 5 धूरकी भूमि के निश्वत जमाबंदी संख्याः 1440 कायम हुआ।

रेस्पोण्डेन्ट के द्वारा अपने दावे के समर्थन में जमाबंदी वाद संख्याः 125/92–93 में दिनांकः 01.12.1992 को पारित आदेश की छायाप्रति, जमाबंदी संख्याः 1439 का मालगुजारी रसीद की छायाप्रति, जमाबंदी संख्याः 1440 का मालगुजारी रसीद की छायाप्रति एवं भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 42/2012 के आवेदन की छायाप्रति दाखिल किए हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की

	विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील खारिज। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 6/12/2013 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा 6/12/13 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	